न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 190/2006 (उदयपुर डिक्री)

1. परमेश्वरलाल पिता स्वर्गीय जगदीश जी पंड्या, निवासी गणेश घाटी, उदयपुर (राज.)
2. पुष्करलाल पिता स्वर्गीय जगदीश जी पंड्या, निवासी गणेश घाटी, उदयपुर (राज.)
3. दिनेशचन्द्र पिता स्वर्गीय जगदीश जी पंड्या, निवासी गणेश घाटी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. चम्पालाल पिता शंकरलाल जी पालीवाल, निवासी डबोक, तहसील मावली हाल कालका माता मंदिर के सामने, गणेशनगर, उदयपुर (राज.)
2. गंगादेवी पत्नी नन्दकिशोर जी बंसल, निवासी 216/16, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)
3. सुभाषचन्द्र आचार्य एवं सरोज आचार्य, निवासी अशोक नगर हाल कालकामाता मंदिर के सामने, गणेशनगर, सागर कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती स्नेहलता पत्नी डॉ. जगदीशचन्द्र जी व्यास, निवासी गणेश नगर, विश्व विद्यालय मार्ग, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सरोज आचार्य पत्नी श्री सुभाषचन्द्र आचार्य, निवासी सागर कॉलोनी, कालका माता मंदिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती मोवनी बाई (मृतक) के बजाय :–

6/1. भगवतीलाल पिता मगनलाल जी जैन (मृतक) के बजाय :–

6/1/1. विपुल जैन पिता स्व॰ श्री भगवतीलाल जी जैन, निवासी प्लॉट नंबर 4, सागर कॉलोनी, कालका माता मंदिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर।

6/1/2. जिमित जैन पिता स्व॰ श्री भगवतीलाल जी जैन, निवासी प्लॉट नंबर 4, सागर कॉलोनी, कालका माता मंदिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर।

6/1/3. श्रीमती चेष्टा उर्फ चेतना पुत्री स्व॰ श्री भगवतीलाल जी जैन, निवासी प्लॉट नंबर 4, सागर कॉलोनी, कालका माता मंदिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर (राज.)

6/1/4. सुश्री हिना पुत्री स्व॰ श्री भगवतीलाल जी जैन, निवासी प्लॉट नंबर 4, सागर कॉलोनी, कालका माता मंदिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर।

7. चुन्नीलाल पिता जीतमल जी कोठारी, निवासी साहजी की गली के पास, भीण्डर, उदयपुर (राज.)

8. मांगीलाल पिता खेमराज जी जोशी, निवासी आयड़, हाल कालका माता मंदिर के सामने, गणेश नगर, उदयपुर (राज.)

9. सीताराम पिता गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी सरस्वती निकेतन रोड़, आयड़, उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती मनोरमा शाह पत्नी हसमुखलाल जी शाह, निवासी C/O मांगीलाल जी गोरूह 149/63, नयापुरा उदयपुर (राज.)

11. श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी मांगीलाल जी राठौड़, निवासी 88, गणेश नगर, विश्व विद्यालय मार्ग, उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती जशोदा देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जी सुखवाल, निवासी ए–285, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 26.07.2006, प्र. सं. 152/03

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री सुशील कोठारी अभि. रेस्पो.सं. 3, 4, 8
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 30–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की

आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 1 में कुल किता 5 रकबा 0.2400 हैक्टर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 48/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा थे। उक्त आराजियात मौरूसी होने से वादीगण के पिता जगदीशलाल जी पंडिया के जीते जी तीनो वादीगण यानि चारों कोपार्सनर के बीच बंटवाड़ा माना जाकर चारों का 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं उनके स्वर्गवास के बाद उसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का बराबर हिस्सा यानि पांचों का 1/20, 1/20 हिस्सा माना जोयगा व इसी अनुसार काबिज होकर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। साबिक आराजी नंबर 42/4, 44/2व 48/3ख की जमीन भी मौरूसी है तथा इसमें भी जगदीशलाल जी पंडया का 1/4 हिस्सा व वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा चारों ही कोपार्शनर थे। उक्त जमीन का विक्रय अकेले जगदीशलाल जी द्वारा दिनांक प्रतिवादीगण को दिनांक 29–08–1985 को कर दिया गया जो नल एण्ड वोईड है तथा वादीगण के मुकाबले बेअसर होकर प्रभाव शून्य है। इन साबिक आराजी नंबर के हाल आराजी नंबर 535 व 684 भी बनने चाहिए एवं आराजी नंबर 534/2563 भी इन्हीं साबिक आराजी नंबर से बनने चाहिए, परन्तु सेटलमेन्ट की गलती से आराजी नंबर 684 व 534/2563 बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये हैं, जिन्हें वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वाद पत्र की पैरा संख्या 1 का भी वादीगण बंटवाड़ा कराना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक वादीगण का 30–30 प्रतिशत हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का 5–5 प्रतिशत हिस्सा है। वाद पत्र की पैरा संख्या 3 में भी प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा 3/4 हिस्सा वादीगण का है। प्रतिवादीगण बंटवाडे से इंकार करते हैं इसलिए घोषणा एवं बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियों से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है तथा इन भूमियों पर वादीगण की बाउण्ड्रीवाल बनी होकर फाटक लगा हुआ है तथा आराजी नंबर 536 पर वादीगण के दादा जी द्वारा मकान व चबूतरा बनाया गया है, जिसे 50 वर्ष हो गये हैं तथा बिजली का कनेक्शन लिए हुए भी 40 वर्ष हो चुके हैं। आराजी नंबर 539 पर वादीगण का कुंआ बना हुआ है जिस पर मोटर लगी होकर लाईट कनेक्शन ले रखा है तथा आराजी नंबर 540 में गणेश जी का चबूतरा वादीगण के दादा जी द्वारा बनाया हुआ है। वादकरण दिनांक 23–06–2001 को तब पैदा हुआ जब वादीगण को पता चला की वाद पत्र की कलम संख्या

3 की भूमियां प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी गयी है तथा नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के नाम खुल चुका है। निवेदन किया कि वाद पत्र की पैरा संख्या 1 की भूमियों का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के मध्य विभाजन कराया जाकर प्रत्येक वादीगण का 30–30 प्रतिशत तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के हक में 5–5 प्रतिशत जमीन का बंटवाड़ा कराया जावे। वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित भूमियों में वादीगण को 3/4 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण को 1/4 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे। वादीगण द्वारा दफा 80 जा.दी. का नोटिस भी वाद पत्र के साथ पेश किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 से 9 द्वारा दिनांक 22–02–2006 को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 536 से 540 बाबत् वादीगण ने वाद दिनांक 16–09–2003 को प्रस्तुत किया है एवं वाद पत्र की कलम संख्या 12 में वाद हेतुक दिनांक 23–06–2001 एवं 31–12–2002 को होना बताया है एवं बाद प्रत्येक दिन होना बताया है, परन्तु उक्त भूमि दिनांक 25–09–2000 को ही धारा 90 बी को पुनग्रहित की जाकर नगर विकास प्रन्सास के अधीन रखी गयी, जिससे उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति वादी अथवा प्रतिवादी के पास खातेदारी अधिकार नहीं रहे, जिससे वाद में उल्लेखित दिनांक को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वादग्रस्त भूमि 90 बी के तहत पुनग्रहित हो जाने से माननीय न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं रहा है। अतएवं वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है। वाद दिनांक 16–09–2003 को पेश किया गया है। वाद हेतुक दिनांक 23–06–2001 व दिनांक 31–12–2002 व उसके बाद पैदा हुआ। उक्त मामले में 90 बी की कार्यवाही किये जाने का कथन गलत है। वास्तव में उक्त मामले में इसके बाद म्यूटेशन के केस भी इन्हीं पक्षकारों के बीच चले, जिसमें धारा 90 बी का हवाला नहीं दिया गया। प्रतिवादीगण ने मिलीभगत से बिना कानून की प्रक्रिया अपनाये 90 बी की

कोई कार्यवाही करवायी हो तो वे एबनिसियोवोईड है व उससे कथित जमीन आबादी की जमीन नहीं हो जाती है। उक्त जमीन का आज तक किसी भी आबादी का पट्टा नहीं दिया गया है न ही दिया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 का बिन्दु हमेशा दावे से ही देखा जायेगा। दावे में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे दावा मेन्टेनेबल नहीं हो। प्रतिवादी ने जानबूझकर जवाबदावा पेश नहीं कर दावे को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। कथित भूमि के वास्तविक खातेदार काश्तकार वादीगण हैं, जिनके द्वारा कभी भूमि सरेण्डर नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमि आज भी कृषि भूमि है तथा आराजी नंबर 537 से 539 में आज भी काश्त हो रही है, जिसकी प्रतिवादी को भी पूर्ण जानकारी है, फिर भी यह झूठा आवेदन प्रस्तुत किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है एवं वादीगण आप न्यायालय से वांछित राहत पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। प्रकरण में वादीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26–07–2006 से प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–07–2006 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 व 8 की ओर से वकील श्री सुशील कोठारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह तय करना आवश्यक था कि क्या धारा 90 बी की कार्यवाही एबनिसियोवोईड होकर बिना अधिकार के थी तो ऐसे मामलों में धारा 90 बी की कार्यवाही को देखा ही नहीं जा सकता व इस जमीन को काश्त की जमीन मानकर ही दावा निर्णित करना चाहिए था, परन्तु इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है, क्योंकि इस मामले में प्रतिवादीगण द्वारा वाद के संबंध में जो बिन्दु उठाने हैं, उनमें अगर ज्यूरी डिक्शन का बिन्दु निहित हो तो उन पर तनकियात कायम की जाकर प्रारम्भिक तनकी को तय किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा बताये गये केस ला को समझे बिना एवं उन पर विचार किये बिना मन मकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। धारा 90 बी की कार्यवाही के विरूद्ध जब अपील पेण्डिंग है तथा वह कार्यवाही ऐबनिसियोवोईड है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि यह जमीन कृषि भूमि ही है। केवल आराजी नंबर 535 के संबंध में ही 90 बी की कार्यवाही की गयी है, शेष आराजियात पर आज भी काश्त होती है व इन आराजियात के संबंध में जो सुओ–मोटो 90 बी की कार्यवाही की है वह ऐबनिसियोवोईड होकर बिना अधिकार के है। धारा 90 बी की कार्यवाही किये जाने के पूर्व वादीगण को नोटिस दिया जाना व सुना जाना आवश्यक था, क्योंकि वादीगण रेकार्डेड खातेदार थे। उक्त भूमि के संबंध में जो म्यूटेशन रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में खुला उसकी अपील अपीलान्ट द्वारा उप जिलाधीश के यहां किये जाने पर म्यूटेशन खारिज कर दिया गया है। कथित जमीन का विक्रय अपीलान्ट या उनके पिता द्वारा कभी भी नहीं किया गया है, फिर भी कयासी आधारों पर नामान्तरकरण खुलवा लिया, जो बाद में खारिज हो चुका है। अगर अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर नये बिन्दु उठाये जाते हैं तो वादीगण को जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होता है व प्लीडिंग्स के आधार पर ही तनकियात कायम की जकार अगर को लीगल तनकी है तो उस पर पहले निर्णय किया जा सकता है, परन्तु अगर कोई मिक्स कानूनी व तथ्यों की तनकी है तो उसका निर्णय शहादत के बाद ही किया जा सकेगा, परन्तु

अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के आदेवन पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया है :–

''बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादीगण द्वारा नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 25–09–2000 को की गयी 90 बी के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय ए.डी.सी. प्रस्तुत की है। वादीगण ने राजस्व मण्डल की फर्द अहकाम की नकल, अतिरिक्त न्यायालय सम्भागीय आयुक्त की अपील मेमो व फर्द अहकाम प्रस्तुत की है। वादीगण का दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही भूमि की 90 बी होकर नगर सुधार प्रन्यास द्वारा पुनर्ग्रहण की जा चुकी थी। अतः विवादित आराजियात की प्रकृति दावा करने के दिन आबादी है। राजस्व न्यायालय को आबादी किस्म की भूमियों के दावों पर विचारण का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण से मूल नहीं खाती हैं, अतः लागू नहीं होती हैं। प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें 90 बी के कार्यवाही हो जाने के आधार पर अपना क्षेत्राधिकार नहीं माना है। प्रस्तुत प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण ने वाद इस आधार पर पेश किया है कि भूमियां मौरूसी होकर सहदायी की सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण का अपने पिता के साथ हिस्सा है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 2 की भूमियों के संबंध में सहदायी की सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का हिस्सा होना तथा इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 3 की भूमियों भी सहदायी की होने तथा उसमें से कुछ भूमियों साबिक से वर्तमान में बिलानाम दर्ज कर दी गयी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में स्थिति इस प्रकार प्रकट आती है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 16–09–2003 को प्रस्तुत हुआ है। दिनांक 31–12–2002 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिवादी/

रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र जो कि वादीगण के पिता द्वारा किया गया था, उसमें अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। अर्थात दिनांक 31–12–2002 को जिस प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादीगण के हक अधिकारों का सृजन हुआ था वह उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत होने पर अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अर्थात दिनांक 31–12–2002 को प्रतिवादीगण खातेदार नहीं रहे थे। अपीलान्ट के पिता द्वारा आराजी नंबर 42/4, 44/2, 48/3ख कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि का पंजीकृत विक्रय दिनांक 10–09–1985 किया गया है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 25–09–2000 को आराजी नंबर 535, 536, 538 व 540 कुल किता 4 रकबा 0.2950 हैक्टर के संबंध में किया गया है। उक्त धारा 90 बी की कार्यवाही जो दिनांक 25–09–2000 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा की गयी है उसमें संबंध में नामान्तरकरण संख्या 2395 दिनांक 18–01–2002 से आराजी नंबर 535, 536, 538 व 540 कुल किता 4 रकबा 0.2950 हैक्टर की प्रविष्टि नगर विकास प्रन्यास के नाम हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 90 बी की कार्यवाही दिनांक 25–09–2000 को की गयी है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में उसकी प्रविष्टि दिनांक 18–01–2002 को की जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31–12–2002 को क्रेतागणों के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया था, उसे अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है। अर्थात दिनांक 31–12–2002 को उक्त भूमियां जो कि क्रेतागणों के नाम प्रविष्ट हुई थी, वह क्रेतागणों के नाम नहीं रही। क्रेतागणों द्वारा अपने शपथ पत्रों के आधार पर नगर विकास प्रन्यास में आवेदन कर भूमि की 90 बी की कार्यवाही करवा भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज करवायी है। सक्षम राजस्व अधिकारी/लैण्ड रेकार्ड आफिसर द्वारा भूमि की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि को त्रुटि पूर्ण मान लिया गया है, उसके बाद नगर विकास प्रन्यास द्वारा इन क्रेतागणों के नाम प्रविष्टि थी, उसके द्वारा किये गये उक्त विक्रय पत्र की विधिकता को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मान लिया गया है व भी सिर्फ इस प्रमुख आधार पर कि 90 बी की कार्यवाही के आदेश नगर विकास प्रन्यास

द्वारा पारित किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट यह कहकर आते हैं कि धारा 90 बी की कार्यवाही जो नगर विकास प्रन्यास द्वारा की गयी है, वह प्रारम्भता विधि विरूद्ध है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय का जोर सिर्फ इस बात पर रहा है कि वाद दायरी दिनांक को भूमियों की 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है, जबकि अपीलान्ट का कथन है कि 90 बी की कार्यवाही प्रारम्भकता शून्य है एवं उसके लिए वह अपने वाद को राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का मानता है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय को धारा 90 बी की विधिकता बाबत् विनिश्चियन किया जाकर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार वर्णित शिड्यूल 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसरण में वादी में तनकियात कायम की जाकर विधिक बिन्दु का निर्धारण कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है, जिसमें वह उक्त भूमि को आबादी में होने का कथन करता हो अथवा वह 90 बी को वोईडेबल मानता हो। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट अभिकथन किया गया है कि धारा 90 बी की कार्यवाही प्रारम्भता अवैध एवं प्रभाव शून्य है, क्योंकि धारा 90 बी के सम्बन्ध में उन्हें सुना ही नहीं गया है तथा 90 बी की कार्यवाही करते समय जिन व्यक्तियों के आवेदन पर 90 बी की कार्यवाही की गयी है, वह स्वत्वधारी नहीं थे तथा उन्हें 90 बी की कार्यवाही कराये जाने का कोई अधिकार नहीं था। अर्थात जब अपीलान्ट स्वयं यह कहता है कि 90 बी की कार्यवाही प्रारम्भता प्रभाव शून्य है तो इस बिन्दु का निर्धारण किया जाना वांछनीय था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विवेचन किये बिना सिर्फ 90 बी की कार्यवाही हो जाने के आधार पर वाद पत्र के तथ्यों की विवेचना किये बिना अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानने का जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण है।

वकील अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 2012 सुप्रिम कोर्ट पेज 3023 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 2012 सुप्रिम कोर्ट पेज 3371 पेश की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि वादी का निर्णय करते समय सिर्फ वाद के तथ्यों को ही देखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरे आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1040, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 633, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 970, आर.आर.डी. 1991 पेज 20, आर.आर.डी. 2010 पेज 737, आर.आर.

डी. 1990 पेज 61, आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 947, आर.आर.डी. 2002 पेज 709, आर.आर.डी. 1994 पेज 283, आर.आर.डी. 2009 पेज 244 एवं आर.आर. डी. 2006 पेज 273 प्रस्तुत की, जिनमें यह अभिमत पारिता किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जाकर तनकी निर्धारित कर क्षेत्राधिकार के बिन्दु को तय करना चाहिए।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1990 पेज 281 प्रस्तुत की गयी है, जो इस आधार पर है कि मूल नामान्तरकरण जब खारिज हो चुका है तो उसके बाद की सारी कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा प्रकरण में क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य भूमियों भी जो निजी स्वत्व की होकर बिलानाम दर्ज हो जाने के तथ्यों का भी निर्णय अवशेष होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अत्यन्त सरसरी रूप से प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2006 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण का विस्तृत जवाबदावा प्राप्त कर उभयपक्षों की प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात एवं क्षेत्राधिकार संबंधी तनकियात कायम कर आवश्यतानुसार उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर प्रकरण में सारगर्भित निर्णय पारित करने हेतु विधिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–06–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम **श्रीमती गेन्दी बाई बेवा कुन्दनलाल जी नागदा, निवासी पारड़ा, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**74 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**08**.....**1980**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**
श्री हर्षद जोशी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद, दफा 96 जा.दी. एवं गुणावगुण आधार पर पोषणीय नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–1980 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।